THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBH I MEHTA): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) Before the benefit of rationalisation was extended, the scales of pay for the posts of Press Store Keeper and the Foreman were at par i.e. Rs. 425—600. However, as a result of rationalisation, the Press Store Keeper was sanctioned pay scale of Rs. 425—800 while the Foreman was given a lower Scale i.e. Rs. 425—700.

(d) According to the information furnished by the University of Delhi, the Joint Cadre Review Committee of UGC recommended pay-scale of Rs. 425—800 for the post of General Store Keeper which forms part of Ministerial Cadre and that of Rs. 425—700 for Foreman/Senior Proof Reader under the Technical Cadre. These recommendations were approved by the Commission.

Decision of officers of Public Sector enterprises to observe bandh

2201. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI CHATURNAN MISHRA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the officers of Public Sector enterprises have decided to observe a nation-wide bandh on the 29th May, 1990; and

(b) if so, the details thereof and what steps Government are taking to avert the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BHAGEY GOBARDHAN) (a) Yes, Sir.

(b) The main demands relate to revision of pay scales from 1-1-1986 and introduction of Central Government Dearness Allowance formula. Discussions are being held with the officers to explain the position and prevail upon them to give up the proposed strike.

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा मंत्रालयों के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

2202. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के बीच प्रत्येक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो आज तक सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम इस समझौता ज्ञापनों के अधीन लाये जा चुके हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि समझौता ज्ञापनों के अधीन लाये गये सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार दिखाई दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में इस प्रणाली को लागू करने में सरकार की असमर्थता के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1988-89 में सरकारी क्षेत्र के ग्यारह उद्यमों ने सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ।

हैं वर्ष 1989-90 में सरकारी क्षेत्र के अठारह उद्यमों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए तथा वर्ष 1990-91 में सरकारी क्षेत्र के 28 उद्यमों के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की सम्भावना है।

(ग) जी, हां। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली ग्यारह कम्पनियों का निवल लाभ वर्ष 1987-88 के 1991.78 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1988-89 में 2480.61 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 1989-90 के आंकड़े सितम्बर, 1990 में उपलब्ध हो सकेंगे। बहरहाल, समझौता ज्ञापन प्रणाली के अन्तर्गत कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन का एकमात्र मापदण्ड लाभ ही नहीं है और अन्य मापदण्डों के तहत भी सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों ने बेहतर कार्य-निष्पादन किया है।

(घ) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रणाली वर्ष 1988-89 में प्रारम्भ हुई तथा तबसे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली कम्पनियों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है, क्योंकि समझौता ज्ञापन लागू करने के पूर्व पर्याप्त प्रशिक्षण प्रयासों की आवश्यकता होती है।

Movement of Pakistani seafarers in Indian Ports harbouring naval basis

2203. DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the recent reports that Pakistani seafarers employed on merchant ships and also in foreign vessels enjoy complete freedom of movement in the Indian Ports which also harbour naval basis; and

(b) if so, what steps Government propose to take to restrict their movement in the interests of national security?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. RAJA RAMANNA): (a) No such case has come to the notice of the Government in the recent past.

(b) Does not rise. The Navy has standing arrangements for guarding their installations against all unauthorised foreigners.

आयुध कारखाना, खमरीया, जबलपुर

2204. **श्री राम अवधेश सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जबलपुर उच्च न्यायालय ने श्री एच. आर. यादव, सी. एच/एम-1/ए-5 आयुध कारखाना, खमरीया, जबलपुर (मध्य प्रदेश) की पदोन्नति के मामले में किए गए कदाचार के संबंध में श्री यादव द्वारा भारत सरकार के विरुद्ध दायर की गई याचिका पर उन्हें समुचित प्रोन्नति देने का आदेश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया और जबलपुर उच्च न्यायालय के फैसले को ही सही माना ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के फैसले के बाद श्री यादव ने आयुध कारखाने के अध्यक्ष से 23 अप्रैल, 1990 को और उससे पहले भी उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के आदेशों को लागू करने का अनुरोध किया था ; और

(घ) यदि ऊपर पूछे गए भाग (क) (ख) और (ग) का उत्तर "हां" है, तो सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा श्री यादव को प्रोन्नति के संबंध में दिए गए आदेशों को कब तक लागू करेगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने 4 अप्रैल, 1983